उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-26 /2020/248/92-2-20-97एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 22 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-रामपुर में कार्यरत रहने के दौरान वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के पैकेज संख्या-यूपी-5995 के अंतर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग टी0-22 एम0टी0डी0 रोड (टी-9) से शेकमपुर क्रासिंग का स्टेट क्वालिटी मॉनीटर (एस0क्यू0एम0) के निरीक्षण दिनांक 13.12.2017 एवं दिनांक 26-11-2019 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने हेतु श्री हबीबुल्लाह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-रामपुर को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-बदायूं को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-26 /2020/248(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **(संलग्नक सहित)** मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- प्रस्तुतकर्ताअधिकारी/सहायक अभियंता ग्रा0अ0वि0 पीआईयू0-बदायूं।
4- श्री हबीबुल्लाह, सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, पीआईयू0-रामपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in